न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला— सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 53/2021

उनवान

1. श्री धन्ना पिता नाथु जी डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सलूम्बर जिला— सलूम्बर।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

कलेक्टर सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)

—::निर्णय::—

दिनांक : 19—06—2024

उपस्थितिः श्री गोतमलाल मीणा – अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषी भूमि मौजा जवारडा पटवार हल्का मैथूडी तहसील सलूम्बर में खाता सं. 53—54 कुल किता 10 रकबा 4.42 हेक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं सहखातेदार अपने बाप—दादाओं के समय से कब्जे काश्त होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। जमाबन्दी में उक्त खाता सं. 53—54 की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.13 हैक्टेयरय भूमि प्रार्थी के हिस्से आई है जो सही अंकित है किन्तु नक्शें में आराजी नम्बर 546 सही नहीं है। संवत् 2010 के जमाबन्दी के नक्शें में उक्त आराजी नम्बर 546 पुराना आराजी नम्बर 342 सही बना हुआ है लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान नई नक्शा शीट में उक्त आराजी नम्बर 546 पुरानी आराजी नम्बर 342 सही नही बना है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मौजा जवारडा पटवार हल्का मैथुडी के प्रार्थी के खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 546 रकबा 0.13 हैक्टेयर का नक्शा वर्तमान नक्शाशीट में सही नही है जिसे दुरस्ती कर आराजी नम्बर 546 का सही नक्शा कराने का आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब मय रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि आराजी नम्बर 546 का साबिक आराजी नम्बर 342 की तुलना भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाई गई नक्शा शीट से की गई। रिपोर्ट अनुसार तुलना करने पर पाया कि साबिक आराजी नम्बर एवं हाल आराजी नम्बर का रकबा बराबर है। इसमें कोई कमी—पेशी नहीं है। अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। तहसीलदार जवाब के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 342 व हाल आराजी नम्बर 546 का रकबा बराबर है तथा नक्शा शीट भी लगभग

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर, जिला सलूम्बर

समान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम साबित नही पाया जाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
सलूम्बर जिला सलूम्बर